



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर


क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 402 दिनांक 3/5/08

आदेश

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2333 दिनांक 21.11.2006 (आर०ई०ओ०-126), 3218 दिनांक 24.02.2007 (आर०ई०ओ०-130) एवं 126 दिनांक 11.04.07 (आर०ई०ओ०-135) द्वारा संशोधित कृषि नीति-2004 बिन्दु संख्या 7(i) से (iv) (स) में कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शन में मांग पत्र में तुरन्त प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया था। इसी क्रम में बिन्दु संख्या 7(iv)(स)(2) के पश्चात 7(iv)(द)(1) व 7(iv)(द)(2) में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

7(iv)(द) (1)	1. बाघ परियोजना, रणथम्भौर एवं सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट की सीमा से लगे हुए राजस्व गांवों के कृषकों को चारा उगाने हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिये जावेंगे। बाघ परियोजना के क्रिटिकल टाईगर हैबिटेट की सीमा से लगे हुए गांवों का चयन पार्क के अधिकारियों द्वारा राजस्व अधिकारियों से विमर्श पश्चात किया जावेगा। यदि इन कृषकों द्वारा पूर्व में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो संबन्धित अधिशाषी अभियन्ता को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा जो आवेदन करने की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में कनेक्शन जारी करना सुनिश्चित करेंगे।	तुरन्त प्राथमिकता
(iv)(द) (2)	2. राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारणों क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र बसाये गये कृषकों को भी प्रति परिवार एक कृषि विद्युत कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर दिया जावेगा। इस हेतु राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण क्षेत्र निदेशक अथवा मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र को आधार माना जावेगा।	तुरन्त प्राथमिकता

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी माना जायेगा।


 (ए. एम. लोढा)
 मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं आयोजना)
 जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- ❖ शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- ❖ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- ❖ सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एवं लेख नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- ❖ उपमुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड.सी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ प्राव. सहायक माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/टी.डब्लू/वाणिज्य/ एमएण्डपी/ बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
- ❖ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- ❖ कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ❖ अधिशाषी अभियन्ता (/पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण)जोविनिनि.

(आप के अधिनियम कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)